परिशिष्ट–17

VAN VIBHAG
MISCELLANEOUS APRIL 10, 1960

No. 1115(iv)/xiv-331-50-In exercise of the Powers Conferred by section 32 of the Indian Forest Act 1927 (Act No. xiv of 1927) the Government of Uttar Pradesh is please to make the following rules for the protected forests declared as such by Government Notification No. 1115/xvi-331-50 dated Feb. 10, 1960 .

RULES

No. person shall, without the permission of a forest Officer do, attempt to do or cause to be done, any of the following Acts-

(1) The cutting, sawing , conversation and removal of any tree and the collection , manufactured and removal of forest produce from the protected forests.

(2) The clearance and breaking of land for cultivation of or for making of any threshing floor (khalihan) or tethering cattle, erecting of any temporary of permanent hut of house in such forests.

(3) The cutting of grass and pasturing of cattle in such forests, and

(4) The lighting kinding or burning of any fire near such forests.

छाया प्रति प्रमाणित

By Order
R.K. Talwar , Sachiv

(विश्वजीत राय)
उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी
उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक
विकास प्राधिकरण (यूपीडा)

परिशिष्ट– 17.1
वन विभाग
विविध
10 फरवरी, 1960

संख्या–1115/xiv- 331-50 उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय का मत है कि इण्डियन फारेस्ट एक्ट 1927 (एक्ट–xvi/1927) की धारा 29 की उपधारा (3) के अधीन अपेक्षित जांच तथा अभिलेख करने में इतना अधिक समय लगेगा कि इस बीच राज्य सरकार के अधिकारों को खतरा हो सकता है।

अतएवं उपर्युक्त उप धारा के प्रतिबन्धक द्वारा और उपर्युक्त एक्ट की धारा–80ए के साथ पठित उक्त धारा की उपधारा (1) द्वारा प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय घोषित करते है कि इस प्रकार जांच तथा अभिलेख करने तक उक्त एक्ट के अध्याय 4 के उपलब्ध संलग्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि पर लागू होगें ।

जिला	मार्ग का नाम	दूरी मील , फलांग व फीट में	विवरण भूमि का सीमा पत्थरों द्वारा अंकित की गई
जौनपुर	1. लखनऊ–बनारस रोड	165 से 176 तक	–"–
	2. बादशाहपुर रेलवे फील्डर रोड	0 से 2 फलांग 545 फीट	–"–
	3.लाइन बाजार नईगंज बाईपास रोड	1 से 3 फलांग 266 फीट तक है	–"–
	4. मिर्जापुर–जौनपुर रोड	25 मील 1 फलांग 177 फीट तक	–"–
	5. लखनऊ–बलिया रोड	18 मील 1 फलांग 135 फीट तक	–"–
	6. जौनपुर–शाहगंज–अकबरपुर	21 मील 1 फलांग 447 फीट तक	–"–
	7. इलाहाबाद–गोरखपुर रोड	9 मील 1 फलांग 491 फीट तक	–"–
	8. मछलीशहर–जंघई रोड	12 मील – फलांग 1 फीट तक	–"–
	9. जौनपुर–प्रतापगढ़ रोड	24से 27 मील 6 फलांग 520 फीट तक	–"–
	10. लालसराय–दीदागंज रोड	0 से 6 मील 5 फलांग 150 फीट	–"–
	11. अकबरपुर–मुट्ठीगंज रोड	1 मील 3 फलांग 280 फीट	–"–
	12. शाहगंज–तिकोलिया रोड	0 से 7 मील 3 फलांग 440 फीट	–"–
	13. मीनपुर रेलवे स्टेशन मार्ग	0 से 60 फलांग 280 फीट	–"–
	14. मीनपुर फाडा सी0सी0 फफरा	5 फलांग 73 फीट से 7 फलांग 20 फीट	–"–
	15. सराय	0 से 4 मील 4 फलांग 591 फीट	–"–
	16. लिंग रोड	0 से 2 फलांग 121 फीट तक	–"–
	17. रेलवे फिडर रोड	0 से 14 फलांग 447 फीट तक	–"–
	18. बनारस–आजमगढ़ रोड	0 से 23 मील 1 फलांग 40 फीट	–"–
वाराणसी	1. बनारस–बलिया रोड	मील 1 से मील 5 तक	–"–
	2. सारनाथ रोड	1 मील 2 फलांग तक	–"–
गाजीपुर	1. बनारस–बलिया रोड	20 से 47 मील तक	–"–
	2. गाजीपुर–गोरखपुर रोड	65 से 85 मील तक	–"–
	3. बनारस–बलिया रोड	47 से 70 मील तक	–"–
	4. मृगहरा आड़ रोड	1 से 2 (फलांग–2) तक	–"–
	5. मुहम्मदाबाद–कासिमाबाद रोड	5 से 14 मील तक	–"–
	6. सादीपुर–दोपारी रोड	1 से 4 1/2 मील तक	–"–
	7. गोमती ब्रिज रोड	5 से 14 मील 4 फलांग तक	–"–
	8. अपठनीय रोड		–"–
	9. बहरिया–गाजीपुर रोड	15 से 32 मील तक	–"–
	10. मिर्जापुर–रोबर्टगंज रोड	1 से 27 मील तक	–"–
	11. नरायनपुर–मैरोरा रोड	1 से 13 मील तक	–"–
	12. जी0टी0 रोड	423 से 477 मील तक	–"–
	13. मिर्जापुर रीवा रोड	1 से 43 मील तक	–"–
	14 मिर्जापुर रोड	1 से 6 मील तक	

छाया प्रतिलिपि

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
गाजीपुर 08-9-17

(विश्वजीत राय)
उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी
उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक
विकास प्राधिकरण (यूपीडा)

परिशिष्ट–19.4

25 जनवरी 1979

संख्या–8109/चौदह–2–53–77 भारतीय वन अधिनियम 1927(अधिनियम संख्या 16. 1927) की धारा–29 के अधीन शक्ति का और इस निमित्त अन्य समस्त समर्थकारी शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल निम्नलिखित अनुसूची में वर्णित उत्तर प्रदेश राज्य में रेलवे के दोनों तरफ के सरकारी वन या बंजर भूमि की पट्टियों को, चाहे उन पर वृक्ष लगे हो या नही संरक्षित वन घोषित करते है तथा उन पर उक्त अधिनियम के अध्याय–4 धारा–68 के उपबन्ध लागू होगें ।

अनुसूची

पटरी का नाम	विवरण और स्थिति
रेलवे	प्रबन्ध के लिये वन विभाग को अन्तरिम पूर्वोत्तर रेलवे के निम्नलिखित सेक्शन के रेलवे ट्रैक और स्टेशन यार्ड से लगी हुई भूमि
	वाराणसी मण्डल
	1. भटनी से गोरखपुर छावनी
	2. भटनी से वाराणसी
	3. वाराणसी से इलाहाबाद सीटी
	4. वाराणसी से इलाहाबाद सीटी
	5. गोरखपुर से छावनी से तिनफूरिया (हाल्ट लूप)
	6. औड़िहार जंक्शन से बकुलहा
	7. छितौनी से कप्तानगंज
	8. सलेमपुर से बरहज बाजार
	9. इन्दारा से दोहरीघाट
राजस्व गार्डबुक में सुरक्षित ह0/ प्र.मि. 14/9/2017	10. मऊ से जंक्शन से शाहगंज
	11. फेफना से इन्दारा
	12. औड़िहार से जौनपुर
	13. माधोसिंह से चिल्ह

कार्य प्रति प्रमाणित
सामाजिक वानिकी प्रभाग
08-9-17

(विश्वजीत राय)
उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी
उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक
विकास प्राधिकरण (यूपीडा)

परिशिष्ट–19.3

अधिसूचना

22 जून 1978 ई०

संख्या 3559/(2)/चौदह–2–503–77 चूँकि सरकारी अधिसूचना सख्या 3559/चौदह–2–503–77, दिनांक 22 जून 1978 द्वारा उक्त अधिसूचना की अनुसूची में उल्लिखित उत्तर प्रदेश में रेलवे के दोनों ओर की सीमा खम्भें में सीमांकित सरकारी बंजर भूमि की समस्त पट्टियों को चाहे उन पर वृक्ष लगे हो या नहीं, भारतीय वन अधिनियम–1927 की धारा–29 के अधीन संरक्षित वन घोषित किया गया है।

अतएव, अब राज्यपाल उक्त अधिनियम की धारा–30 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके–

(क)– इस अधिसूचना के प्रकाशन के दिनांक से उक्त भूमि पर लगे हुए समस्त वृक्षों को आरक्षित घोषित करते है, और

(ख)–उक्त दिनांक से किसी वन में पत्थर की खुदाई करने, चूने या लकड़ी के कोयले को फूकने व ऐसे किसी वन में वन उपज का संग्रह करने या उस पर कोई विनिर्माण प्रकिया करने या उसे हटाने और भवन निर्माण पर पशुओं के गोल रखने या किसी अन्य प्रयोजन के लिये किसी ऐसे वन में भूमि तोड़ने या साफ करने का प्रतिशोध करते है।

छाया प्रति प्रमाणित

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
गाजीपुर 08-9-17

आज्ञा से
एन0पी0त्रिपाठी
सचिव

(विश्वजीत ...)
उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी
उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक
विकास प्राधिकरण (यूपीडा)